न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 20 / 2024

तारीख दायर—20.09.2024
तारीख निर्णय—13.03.2026

1. श्री शंकरलाल पिता खेमा मीणा निवासी चंद जी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.......वादी

बनाम

1. श्रीमती पुंजकी पत्नी स्व0 हमेरा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
2. सुश्री टमुडी पुत्री हमेरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पुंजकी पत्नी स्व0 हमेरा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
3. श्री प्रभु पुत्र हमेरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पुंजकी पत्नी स्व0 हमेरा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
4. श्री रामा पुत्र हमेरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पुंजकी पत्नी स्व0 हमेरा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
5. श्री शंकर पुत्र हमेरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती पुंजकी पत्नी स्व0 हमेरा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
6. श्री कन्ना पिता खेमा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
7. श्री लोगर पिता खेमा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
8. श्रीमती कालकी पुत्री खेमा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
9. श्रीमती थावरी पुत्री खेमा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
10. श्रीमती वक्तु पत्नी खेमा मीणा निवासी बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री चेतनप्रकाश मेनारीया
प्रतिवादी की ओर से— पुष्कर लाल मीणा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * लसाडिया, जिला-सलूम्बर *

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा बडली का छोडा पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया के परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 72 व पुराना 5 में वर्णित आराजी नम्बर 485 रकबा 1.2636 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 70 व पुराना 17 में वर्णित आराजी नम्बर 414 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ग) खाता संख्या नया 71 व पुराना 19 में वर्णित आराजी नम्बर 421 रकबा 0.9072 हैक्टेयर, परिशिष्ट (घ) खाता संख्या नया 18 व पुराना 19 में वर्णित आराजी नम्बर 415 रकबा 0.7776 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.8208 हैक्टेयर, किता 02 कुल रकबा 1.5984 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों का संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगणों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउडरा के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों को न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर देने के उपरान्त भी न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नही किया आदेशिका दिनांक 26.12.2025 को प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगा की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा बडलीका छोडा पटवार क्षेत्र शोभ जी का गुडा तहसील लसाडिया परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 72 व पुराना 5 में वर्णित आराजी नम्बर 485 रकबा 1.2636 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 70 व पुराना 17 में वर्णित आराजी नम्बर 414 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, परिशिष्ट (ग) खाता संख्या नया 71 व पुराना 19 में वर्णित आराजी नम्बर 421 रकबा 0.9072 हैक्टेयर, परिशिष्ट (घ) खाता संख्या नया 18 व पुराना 19 में वर्णित आराजी नम्बर 415 रकबा 0.7776 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 435 रकबा 0.8208 हैक्टेयर, किता 02 कुल रकबा 1.5984 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)